CDR

Centre for Dalit Rights, Rajasthan

दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989
व नियमावली 1995
के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के प्रारूप व सम्बंधित दिशा-निर्देश

Subaltern Advocates Capacity Building Programme

दलित अधिवक्ता क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

दलित अधिकार केन्द्र
सी-56, प्रथम मंजिल, सिवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर-302015
फोन : 0141-2703736, 2703923
ई-मेल : rajasthancdr@yahoo.com, cdrjaipur@gmail.com
Website : www.dalitrights.org

CDR

Centre for Dalit Rights, Rajasthan

दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान

अनुसूचित जाति/ जन जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989
व नियमावली 1995
के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के प्रारूप व सम्बंधित दिशा-निर्देश

Subaltern Advocate Activists Capacity Building Programme

दलित अधिवक्ता क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण शिविर

दलित अधिकार केन्द्र

सी-56, प्रथम मंजिल, सिवाड़ एरिया,
बापू नगर, जयपुर-302015
टेलिफैक्स : 0141-2703736, 2703923
E-mail : rajasthancdr@yahoo.com, cdrjaipur@gmail.com
Website : www.dalitrights.org

संस्करण : दिसम्बर 2007

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट, साँगानेर, जयपुर

दलित अधिकार केन्द्र के आदेशानुसार, कल्पना ऑफसेट, साँगानेर, जयपुर से मुद्रित।

दलित अधिकार केन्द्र का ध्येय

60 वर्षों की स्वतन्त्रता के बाद आज भी राजस्थान के दलित मानवाधिकारों की घोर वंचना के चलते बदतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए इनकी विधिक जागरुकता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति को श्रेष्ठतर बनाया जावे जिससे ये भी गरिमा और स्वाभिमान की जिन्दगी जी सकें। इसके लिये शिविर, रैली, जनसुनवाई, कार्यशाला, सेमीनार, प्रशिक्षण शिविर आदि आयोजित कर सभी मानवतावादी संगठनों का सहयोग लेकर दलितों को हर संभव सहयोग प्रदान कर सकें।

दलित अधिकार केन्द्र के उद्देश्य

- दलित अधिकार केन्द्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व दलित कार्यकर्ताओं को एक मंच उपलब्ध कराना है जो दलित मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सामाजिक व आर्थिक विकास एवं अपनी गरिमा व स्वाभीमान की लड़ाई लड़ सकें।
- दलित जागृति हेतु समय-समय पर राज्य के प्रत्येक भाग में विधिक-प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाओं, सभाओं तथा जन सुनवाईयों का आयोजन करना।
- नागरिक समाज, सरकारी तन्त्र विशेषकर पुलिस-प्रशासन, कार्यपालिका व न्यायपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों में दलित समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने एवं संवेदनशीलता पैदा करने के लिए समय-समय पर सहभागिता के आधार पर संवाद स्थापित कर कार्यशालाओं एवं बैठकों का आयोजन करना।
- दलितों व महिलाओं के हित में बनाये गये सभी कानूनों, योजनाओं प्रावधानों तथा संविधान प्रदत्त अधिकारों के बारे में नवीनतम जानकारी जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं विशेषकर दलित संस्थाओं तक पहुंचा कर उनकी क्षमता वृद्धि करना।
- राज्य में दलित उत्पीड़न की गम्भीर घटनाओं की त्वरित जाँच कर रिपोर्ट तैयार करना व पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी व गैर-सरकारी मंचों तक मामलों को अन्त तक उठाये जाने में सहयोग करना।
- दलित मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों तथा जन संगठनों से समन्वय स्थापित कर नेटवर्किंग बनाना।

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश

(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........

जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................./2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र वास्ते प्रार्थी / परिवादी को अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियम 1995 के अधीन अन्तरिम राहत व पुनर्वास सुविधा प्रदान करने हेतु

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.................................. पुलिस स्टेशन.................................. दिनांक.................................. को अपराध अन्तर्गत धारा.................................. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अधीन दर्ज करवायी है जो कि अभी जैरे अनुसंधान है / अनुसंधान के पश्चात् प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय.............................. में .... (कार्यवाही जैसे आरोप / साक्ष्य) हेतु लम्बित है ।

2. यह कि इस प्रकरण में प्रार्थी व अभियुक्तगण से सम्बन्धित तथ्य निम्न प्रकार है :–

(क) परिवादी / प्रार्थी / मजरूब का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन का पूर्ण विवरण :–

....

....

....

(ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन :–

....

....

....

(ग) आरोपित अपराध / अत्याचार का विवरण :–

....

....

....

(घ) अभियोजन के साक्षीगणों का नाम, पिता का नाम व पूर्ण पताः–

....

....

....

(ड़) परिवादी प्रार्थी / मजरूब अथवा उनके परिवार द्वारा अपराध के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्यः–

....

....

....

1. यह कि अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के नियम 12(4) में यह प्रावधान है कि :–

12 (4) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन नियमों (उपबंध 2 के साथ पठित उपबंध 1) से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए मान के अनुसार अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों रूप में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपडे, आश्रय, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सम्मिलित होंगी जो मानव के लिए आवश्यक है ।

2. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने / आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद भी अभी तक प्रार्थी को किसी प्रकार की सहायता नियमानुसार नहीं मिली है, जिससे प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी हो रही है ।
3. यह कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है एवं उसका रहना एवं जीवनयापन करना दूभर हो रहा है ।
4. यह कि प्रार्थी पर हुए अत्याचार से वह व उसका परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है ।
5. यह कि प्रार्थी की गरीब परिस्थिति के कारण व न्यायालय में भी अपने प्रकरण को अच्छी तरह से देखरेख करने में असमर्थ हो रहा है।

प्रार्थना

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश प्रदान किया जावे कि :–

1. प्रार्थी को नियम 12 (4) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अधीन अंतरिम सहायता तथा खा़द्य पदार्थ, पानी, रहने व चिकित्सकीय सहायता तुरन्त उपलब्ध करवायी जावे।
2. संबंधित अधिकारियों को प्रार्थी को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तुरन्त निर्देशित किया जावे।
3. अन्य जो भी अनुतोष ज़ो माननीय न्यायालय उचित समझे, प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करें ।

प्रार्थी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........
जिला..........

आपराधिक प्रकरण संख्या....................../2008

सरकार | **विरूद्ध** | अभियुक्त / अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ'–पत्र

मैं...पुत्र श्री...

आयु.........................निवासी...सशपथ कथन करता / करती हूं कि :–

1. मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1989 के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।
2. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 5 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुसार सही एवं सत्य है।
3. यह कि प्रार्थना–'पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ——

सत्यापन

मैं,...

....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ——

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........
जिला..........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार विरूद्ध अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को नियम 12, (4) (5) व (6) अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने के विषय में निर्देश प्रदान करने हेतु

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.......................... पुलिस स्टेशन.................................. दिनांक.................................. को अपराध अन्तर्गत धारा.......................... अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन दर्ज करवायी है जो कि अभी जैरे0. अनुसंधान है / अनुसंधान.के पश्चात् प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में .... (कार्यवाही जैसे आरोप / साक्ष्य) हेतु लम्बित है ।

2. यह कि इस प्रकरण में प्रार्थी व अभियुक्तगण से सम्बन्धित तथ्य निम्न प्रकार है :–

(क) परिवादी / प्रार्थी / मजरूब का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन का पूर्ण विवरण :–

....

....

....

(ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन :–

....

....

....

(ग) आरोपित अपराध / अत्याचार का विवरण :–

....

....

....

(घ) अभियोजन के साक्षीगण का नाम, पिता का नाम व पूर्ण पताः–

....

....

....

(ड़) परिवादी प्रार्थी / मजरूब अथवा उनके परिवार द्वारा अपराध के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्यः–

....

....

....

1. यह कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के नियम 12(5) के अनुसार यह स्पष्ट निर्देशित किया हुआ है कि अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को नियम 4 के अधीन दी गई सहायता / हर्जाना , जो कि मृत्यु, चोट अथवा सम्पत्ति की क्षति के लिए देय होती है, वह किसी अन्य नियम अथवा अधिकार के तहत देय हर्जाने के अतिरिक्त है । नियम 12(5) इस प्रकार है :–

"12(5)– उप–नियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके / उसकी आश्रित को मृत्यु या क्षति अथवा सम्पत्ति का हुए नुकसान की बाबत राहत तत्काला प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाले किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।"

2. यह कि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी / प्रार्थीगणों ....की हर्जाना राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा यह राशि अन्य किसी प्रकार से देय हर्जाने अथवा सहायता के अतिरिक्त है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी / न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद भी (जो भी प्रकरण की स्टेज हो वह लिखी जावे) प्रार्थी को विधि अनुसार देय हर्जाना राशि ..../ अथवा 75 प्रतिशत राशि जो कि पोस्टमार्टम के बाद देय है, नहीं दी गई है ।

3. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के..दिवस बाद भी अभी तक प्रार्थी को तुरन्त राहत प्रदान की जाने वाली सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

4. यह कि प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति / जनजाति है तथा उसका जीवन–यापन दूभर हो रहा है व उसकी प्रतिदिन आय मात्र ....रूपये है, जिससे जीवन–यापन किसी भी तरह से संभव नहीं है।

5. यह कि प्रार्थी व उसका परिवार उस पर हुए अत्याचार के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है एवं डरा हुआ है।

6. यह कि प्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है तथा वह साधनों के अभाव में न्यायालय में अपना मामला अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे हैं।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार की जाकर निम्नांकित निर्देश / आदेश प्रदान करने की कृपा करें :–

1. प्रार्थी को 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति नियम 12(5/6) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अनुसार प्रदान करते हुए प्रार्थी को .... रूपये प्रदान करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
2. यह भी आदेश प्रदान करने की कृपा करें कि सभी संबंधित अधिकारीगण प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि भविष्य में भी नियमानुसार समय पर प्रदान करें ।
3. अन्य जो भी आदेश न्यायालय प्रार्थना–पत्र की परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे, प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार विरूद्ध अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ'–पत्र

मैं...पुत्र श्री...

आयु..............................निवासी...सशपथ कथन करता / करती हूं कि :–

1. मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के नियम 12(5)(6) के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है ।

2. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 9 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुंसार सही एवं सत्य है।

3. यह कि प्रार्थना–'पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ––––––

सत्यापन

मैं, ...उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ /करती हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ––––––

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........

जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................./2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1989 के नियम 11(1)(2)(4)(5) सपठित धारा (6)(7) के अधीन प्रार्थी को यात्रा भत्ता / दैनिक गुजारा भत्ता / यातायात सुविधा दिलाये जाने के विषय में निर्देश प्रदान करने हेतु

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..................................पुलिस स्टेशन.................................. दिनांक................................ दायर की गयी थी तथा प्रकरण अभी अनुसंधान अधीन है / में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

2. यह कि उक्त प्रकरण न्यायालय...में विचाराधीन है तथा प्रकरण में आगामी तिथि...वास्ते .... नियत है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

   (क) प्रार्थी का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन / न्यायालय से दूरी / अनुसंधान के स्थान से दूरी निम्न प्रकार है :–

   ....

   ....

   ....

   (ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन के विषय में सूचना निम्न प्रकार है :–

   ....

   ....

   (ग) अपराध / अत्याचार का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

   ....

   ....

   ....

(घ) साक्षीगण का पूर्ण पता पूर्ण विवरण (नाम , पता स्थायी निवास व बुलाये गये स्थान से दूरी) निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(ङ) प्रार्थी अथवा उसके परिवारजनों द्वारा घटना के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्यः–

....

....

....

3. यह कि यद्यपि यह नियमों व कानूनों में स्पष्ट है कि संबंधित उपखंड अधिकारी व थानाधिकारी पीड़ित पक्षकरों / साक्ष्यों को यातायात भत्ता, दैनिक गुजारा भत्ता, यातायात की सुविधा आदि उपलब्ध करावेगा, परन्तु प्रार्थीगण को तथा पीड़ित , उसके गवाहों व उन पर निर्भर करने वाले लोगों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

4. यह कि यहां तक कि नियमों के अधीन निर्धारित तुरन्त सहायता भी घटना के ....दिवस बाद तक भी प्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

5. यह कि प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति हैं तथा उनके गुजारे को कोई साधन नहीं है इधर –उधर मजदूरी करके वे अपना काम चलाते हैं।

6. यह कि प्रार्थी व उसका परिवार उस पर हुए अत्याचार के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है एवं डरा हुआ है।

7. यह कि प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा उसका जीवन–यापन दूभर हो रहा है व उसकी प्रतिदिन आय मात्र..................................रूपये है, जिससे जीवन–यापन किसी भी तरह से संभव नहीं है।

8. यह कि प्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है तथा वह साधनों के अभाव में न्यायालय में अपना मामला अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे हैं।

9. यह कि प्रार्थी को अपने साथ ....की वजह से सहायक भी साथ लाना पड़ा है तथा सहायक का खर्चा नियम 11(3) के अधीन प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

10. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक..को दर्ज करवायी गयी थी तथा उसके बाद मामला अनुसंधानरत है / न्यायालय में लम्बित है, परन्तु अब तक प्रार्थीगण को खर्चा उपलबध नहीं करवाया गया है एवं प्रार्थीगण को अपने खर्चे से ही कार्यवाही करनी पड रही है।

11. यह कि प्रार्थीगण द्वारा सुनवाई हेतु आने / अथवा अनुसंधान हेतु आने के लिए निम्नांकित खर्चा किया गया है :–

पीड़ित का खर्चा:–

यात्रा ....से...किराया.................................

(कृपया यात्रा किसी साधन से की गई जैसे बस टैक्सी, रेल आदि का हवाला दें तथा टिकिट उपलब्ध हो तो वह भी पेश करें।

आश्रितों का खर्चा :–

यात्रा ....से...किराया.................................

कृपया यात्रा किसी साधन से की गई जैसे बस टैक्सी, रेल आदि का हवाला दें तथा टिकिट उपलब्ध हो तो वह भी पेश करें।

गवाहों का खर्चा:–

यात्रा ....से...किराया.................................

कृपया यात्रा किसी साधन से की गई जैसे बस टैक्सी, रेल आदि का हवाला दें तथा टिकिट उपलब्ध हो तो वह भी पेश करें।

सहायक का खर्चा :–

यात्रा ....से...किराया.................................

कृपया यात्रा किसी साधन से की गई जैसे बस टैक्सी, रेल आदि का हवाला दें तथा टिकिट उपलब्ध हो तो वह भी पेश करें।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार की जाकर निम्नांकित आदेश प्रदान करने की कृपा करें :–

(क) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देशित करें कि वह अत्याचार के शिकार प्रार्थी / उसके गवाहों व आश्रितों को अनुसंधान हेतु आने–जाने के लिए अथवा उच्चधिकारियों द्वारा बुलाने पर आने –जाने के लिए नियम 11(1) अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन आवश्यक सुविधाऐं व व्यवस्था उपलबध करावें ।

(ख) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देशित करें कि वह प्रार्थीगण द्वारा खर्च की गई समस्त राशि का तुरन्त भुगतान करें जैसा कि नियम 11(2) अनुसूचित जाति / जनजाति नियम 1995में निर्देशित किया गया है तथा साथ ही यह भी आदेश दिया जावे कि उक्त पुनर्भुगतान तीस दिन की अवधि में किया जावे, जैसा कि नियम 11(6) अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम

1995 में प्रतिपादित किया गया है।

(ग) संबंधित अधिकारीगण को यह निर्देशित किया जावे कि वे प्रार्थीगण के साथ आये सहायक को भी नियमानुसार भोजन/भत्ता उपलब्ध करावें।

(घ) संबंधित अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि अत्याचार के शिकार प्रार्थी / उसके गवाहों तथा उसके आश्रितों को दिन–प्रतिदिन गुजारा भत्ता विधि अनुसार उपलब्ध कराया जावे क्योंकि वे अत्याचार की वजह से अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं जैसा कि नियम 11(4) अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में प्रतिपादित किया हुआ है।

(ङ) यह कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जावे कि वे चिकित्सा हेतु खर्च किया गया समस्त भुगतान प्रार्थीगण को करें जैसा कि नियम 11(7) अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में प्रतिपादित किया हुआ है।

(च) अन्य जो भी आदेश माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करें की कृपा करें।

प्रार्थी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार विरूद्ध अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ'–पत्र

मैं...पुत्र श्री...
आयु.................................निवासी...सशपथ कथन करता हूं कि :–

1. मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 11(1)(2)(4)(5) सपठित नियम (6)(7) के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।
2. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 11 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुसार सही एवं सत्य है।
3. यह कि प्रार्थना–'पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढ़ा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ––––––

सत्यापंन

मैं, ...
....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ––––––

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार | विरूद्ध | अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के नियम 1995 के नियम 12 (4) शैड्यूल–1 के अनुसार अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति आश्रित के एक सदस्य का पेंशन / नौकरी अथवा पीड़ित को कृषि भूमि / मकान उपलब्ध कराने के विषय में।

मान्यवर,
प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.......................पुलिस स्टेशन....................... दिनांक....................... दायर की गयी थी तथा प्रकरण अभी अनुसंधान अधीन है / में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
2. यह कि उक्त प्रकरण न्यायालय.......................में विचाराधीन है तथा प्रकरण में आगामी तिथि.......................वास्ते .... नियत है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

(क) प्रार्थी का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन के विषय में सूचना निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(ग) अपराध / अत्याचार का विवरण निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(घ) साक्षीगण का पूर्ण पता पूर्ण विवरण (नाम व पता) निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(ड़) प्रार्थी अथवा उसके परिवारजनों द्वारा घटना के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्य:–

....

....

....

3. यह कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) शैडयूल 1 के क्रम 21 के अनुसार हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीड़ित को तीन माह के भीतर सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन यह जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट अथवा सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की है। तथा उक्त सुविधा प्रार्थी को उपलब्ध अन्य किसी विधि के अनुसार प्राप्त किये गये अथवा प्राप्त होने वाले हर्जाने के अतिरिक्त है । उक्त सुविधाऐं प्राथी को तुरन्त उपलब्ध करवायी जावें ।
4. यह कि प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है तथा उसका जीवन–यापन दूभर हो रहा है एवं उसकी प्रतिदिन की आय मात्र..............................रूपये है, जिससे जीवन–यापन किसी भी तरह से संभव नहीं है ।
5. यह कि प्रार्थी के पति की हत्या (किस प्रकार का अत्याचार किया गया है विशेष रूप से शैडयूल 1 के प्रविष्ठि संख्या 21 में बताये गये अपराध हत्या, सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, सामूहित बलात्कार आदि स्पष्ट किया जावे) ....के कारण प्रार्थी का परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा संकट की स्थिति में है।
6. यह कि प्रार्थिया विधवा है तथा गरीब है व अपने परिवार व बच्चों का पालन करने में पूरी तरह असमर्थ है । उसके ऊपर अपनी बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी भी है, ऐसी परिस्थिति में उसको नियमानतर्गत जीवन–पर्यन्त 1000/–रु. मासिक पेंशन अथवा कृषि भूमि अथवा सरकारी नौकरी के रूप में तुरन्त सहायता मिलना अत्यन्त आवश्यक है।
7. यह कि प्रार्थिया को त्वरित सहायता के रूप में अभी तक नकद सहायता व भोजन सामग्री उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जैसा कि कानून में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
8. यह कि प्रार्थिया व उस पर आश्रित उसके परिवारजन को तुरन्त उपरोक्त पैरा 7 में वर्णित जीवन–यापन के लिए राहत की आवश्यकता है, ताकि वे अपना गुजर –बसर कर सकें।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि :–

1. यह कि प्रार्थिया जो कि विधवा है उसे एक हजार रूप्ये प्रतिमाह पेंशन तुरन्त उपलब्ध करवायी जावे या
2. प्रार्थिया के परिवार में से एक व्यक्ति को जिसे भी प्रार्थिया सुझाये सरकारी नौकरी प्रदान की जावे या
3. प्रार्थिया को विधि अनुसार कृषि भूमि व मकान उपलब्ध कराया जावे।
4. अन्य जो भी सहायता माननीय न्यायालय उचित समझे, प्रार्थिया को प्रदान की ज़ावे।

प्रार्थिया

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र

मैं...पुत्र श्री..

आयु.................................निवासी..सशपथ कथन करता हूं कि :–

1. मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।
2. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 8 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुंसार सही एवं सत्य है।
3. यह कि प्रार्थना–'पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ––––––

सत्यापन

मैं, ...

....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ––––––

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........
जिला..........
आपराधिक प्रकरण संख्या......................./2008

सरकार विरूद्ध अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 4, अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस अधिकारी / लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के विषय में

मान्यवर,

प्रार्थी यह प्रार्थना–पत्र पुलिस अधिकारी श्री ....(पूर्ण विवरण)के विरूद्ध धारा 4 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा जानबूझकर लोकसेवक होते हुए भी अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा की गई है :–

1. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ....(मामले का सम्पूर्ण विवरण दे)।
2. यह कि प्रार्थी इस मामले की शिकायत करने दिनांक.............................. को थाने.............................. में गया तो श्री..ने प्रार्थी की शिकायत सुनने से इन्कार कर दिया।
3. यह कि प्रार्थी इस मामले की शिकायत करने पुनः दिनांक..............................को थाने .... में श्री..के पास गया तो उन्होंने प्रार्थी की शिकायत सुनने / दर्ज करने से मना कर दिया।
4. यह कि दिनांक..............................को पुनः प्रार्थी ने इस मामले में उच्चाधिकारियों से सम्पर्क किया / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया , तत्पश्चात् दिनांक..............................को मुकदमा दर्ज किया गया।
5. यह कि मुकदमा दर्ज करने के बाद भी श्री..ने इस मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं की / प्रार्थी को प्रताडित किया ....(पूरा विवरण दें ।) तथा अब तक इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है एवं प्रार्थीगण को त्वरित सहायता भी नहीं पहुंचाई गई है।
6. यह कि दिनांक ....को मैं .... लोक सेवक के पास ....कार्य हेतु गया परन्तु उसने जान–बूझकर लापरवाही बरतते हुए असावधानी की। पटवारी, डॉक्टर, तहसीलदार आदि की (लापरवाही का पूर्ण विवरण दें।)

7. यह कि श्री..का यह कृत्य अपने लोकसेवक के कार्यों के निर्वहन में जानबूझकर की गई उपेक्षा है तथा यह कृत्य धारा 4 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन दण्डनीय अपराध है। धारा 4 निम्न प्रकार है :–

"धारा 4– कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड– कोई भी लोकसेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एकवर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।"

8. यह स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी जानबूझकर अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की पालना नहीं करना चाहते हैं।

9. यह कि प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति हैं तथा उनके गुजारे को कोई साधन नहीं है इधर –उधर मजदूरी करके वे अपना काम चलाते हैं।

10. यह कि प्रार्थी व उसका परिवार उस पर हुए अत्याचार के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है एवं डरा हुआ है।

11. यह कि प्रार्थी गरीब, अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है तथा उसका जीवन–यापन दूभर हो रहा है एवं उसकी प्रतिदिन की आय मात्र..........................रूपये है, जिससे जीवन–यापन किसी भी तरह से संभव नहीं है ।

प्रार्थना

अतः सादर प्रार्थना है कि :–

1. उपरोक्त दोषी अधिकारी श्री ....के विरूद्ध धारा 4 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही कर दंडित करने की कृपा करें।
2. अन्य जो भी आदेश माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों कोा देखते हुए उचित समझे पारित करने की कृपा करे ।

दिनांक.......................................

प्रार्थी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................../2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ'–पत्र

मैं..पुत्र श्री...

आयु...............................निवासी...**सशपथ कथन** करता हूं कि :–

1. मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नियम 1989 एवं नियम 1995 के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

2. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 11 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुंसार सही एवं सत्य है।

3. यह कि प्रार्थना–'पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ––––––

सत्यापन

मैं, ...

....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ––––––

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या........................./2008

सरकार विरूद्ध अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र वास्ते विशेष अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्देश प्रदान करने हेतु एवं प्रार्थी को तात्कालिक राहत एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान करने हेतु अन्तर्गत नियम 10 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.......................................पुलिस स्टेशन.............................. दिनांक.............................. दायर की गयी थी तथा प्रकरण अभी अनुसंधान अधीन है / में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

2. यह कि उक्त प्रकरण न्यायालय...में विचाराधीन है तथा प्रकरण में आगामी तिथि.......................................वास्ते .... नियत है । प्रार्थना–पत्र से संबंधित आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

   (क) प्रार्थी का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन / न्यायालय से दूरी / अनुसंधान के स्थान से दूरी निम्न प्रकार है :–

   ....

   ....

   ....

   (ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन के विषय में सूचना निम्न प्रकार है :–

   ....

   ....

   ....

(ग) अपराध / अत्याचार का विवरण निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(घ) साक्षीगण का पूर्ण पता पूर्ण विवरण (नाम , पता स्थायी निवास व बुलाये गये स्थान से दूरी) निम्न प्रकार है :–

....

....

....

(ड़) प्रार्थी अथवा उसके परिवारजनों द्वारा घटना के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्यः–

....

....

....

4. यह कि नियम 12(4) अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों रूप में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपडे, आश्रय, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित होंगी, जो मानव के लिए आवश्यक है ।

5. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने / आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद भी अभी तक प्रार्थी को किसी प्रकार की सहायता नियमानुसार नहीं मिली है, जिससे प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी हो रही है ।

6. यह कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है एवं उसका रहना एवं जीवनयापन करना दूभर हो रहा है।

7. यह कि प्रार्थी पर हुए अत्याचार से वह व उसका परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

8. यह कि प्रार्थी की गरीब परिस्थिति के कारण वह न्यायालय में भी अपने प्रकरण को अच्छी तरह से देखरेख करने में असमर्थ हो रहा है।

9. यह कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति / जन जाति के सदस्यों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। (क्षेत्र में हुए अन्य अत्याचारों व घटनाओं का पूर्ण विवरण)

10. यह कि नियम 10 के अनुसार परिलक्षित क्षेत्र अपर जिला मजिस्ट्रेट की रेंक से अन्य एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है, जो कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त सहायता उपलब्ध करावेगा तथा उसके व उसके परिवारजनों की आवश्यक देखभाल करेगा।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार की जाकर निम्नांकित आदेश प्रदान करने की कृपा करें :–

1. नियम 10 के अनुसार अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवारजनों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के आशय से परिलक्षित क्षेत्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति तुरन्त करने के आदेश पारित करें।

2. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि वे अत्याचार से पीड़ित प्रार्थी व उसके परिवार को विधि अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध करावें।

3. अन्य जो भी आदेश माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करें कीं कृपा करें।

प्रार्थी

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश

(अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण..........

जिला..........

आपराधिक प्रकरण संख्या........................ / 2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त / अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ'–पत्र

मैं...पुत्र श्री..

आयु.............................निवासी...सशपथ कथन करता हूं कि :–

1. यह कि मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 10 के अधीन यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।
2. यह कि मेरे अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना–पत्र मेरे निर्देशानुसार प्रारूप तैयार किया है और यह प्रार्थना–पत्र मुझको पढकर समझा दिया गया है।
3. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 10 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुसार सही एवं सत्य है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे।

शपथग्रहिता

दिनांक ————

सत्यापन

मैं, ...

....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ————

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण...........
जिला...........

आपराधिक प्रकरण संख्या......................./2008

सरकार **विरूद्ध** अभियुक्त/अभियुक्तों के नाम

प्रार्थना–पत्र वास्ते स्थायी हाजिरी माफी परिवादी

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण श्रीमान् न्यायालय में आज दिनांक.. को वास्ते ....(कार्यवाही का विवरण दिया जावे) हेतु लम्बित है।
2. यह कि दिनांक .... को प्रार्थी के साथ ....(घटना का विवरण दिया जावे) जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दर्ज करवायी गयी है।
3. यह कि प्रार्थी ....(कारण दिया जावे जैसे बीमारी के कारण, दूरी के कारण, उम्र के कारण) प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है तथा उसे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने में अत्यधिक असुविधा होती है। (कारण का संबंधित प्रमाण संलग्न किया जावे)।
4. यह कि प्रार्थी मजबूरीवश प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकता तथा प्रार्थी की अनुपस्थित से प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।
5. यह कि प्रार्थी जब भी न्यायालय तलब करेगा, न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
6. यह कि प्रार्थी की अनुपस्थिति से अभियुक्तगण को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी व न ही प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की बाधा आवेगी।

प्रार्थना

अतः प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थी की उपस्थिति जरिये अभिभाषक क्षमा करने की कृपा करें एवं अन्य जो भी आदेश न्यायालय उचित समझे, प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक .... **प्रार्थी**

न्यायालय ....
(संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायालय का नाम)..
(स्थान / जिला)...........

आपराधिक परिवाद संख्या...................... / 2008

(परिवादी का नाम व पूर्ण विवरण)

विरूद्ध

(अभियुक्तगण का नाम व पूर्ण विवरण)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

अपराध अंतर्गत धारा..भारतीय दंड संहिता धारा ....अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराध

परिवाद अंतर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता

मान्यवर,

प्रार्थी / परिवादी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति / जनजाति का व्यक्ति है एवं (निवास का पूरा विवरण दें) ....
2. यह कि ....(घटना का पूर्ण विवरण दें).. ....
3. यह कि प्रार्थी इस मामले की शिकायत करने दिनांक.................................. को थाने.......................................में गया तो श्री..ने प्रार्थी की शिकायत सुनने से इन्कार कर दिया।
4. यह कि प्रार्थी इस मामले की शिकायत करने पुनः दिनांक.................................को थाने .... में श्री...के पास गया तो उन्होंने प्रार्थी की शिकायत सुनने / दर्ज करने से मना कर दिया।

5. यह कि प्रार्थी को निरन्तर अभियुक्तगण व उसके साथी धमकियां दे रहे हैं व डरा रहे हैं।
6. यह कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है एवं उसका रहना एवं जीवनयापन करना दूभर हो रहा है।
7. यह कि प्रार्थी पर हुए अत्याचार से वह व उसका परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
8. यह कि प्रार्थी की गरीब परिस्थिति के कारण व न्यायालय में भी अपने प्रकरण को अच्छी तरह से देखरेख करने में असमर्थ हो रहा है।
9. यह कि .... (प्रकरण में देरी का कारण भी लिखें यदि देरी हुई है तो)

प्रार्थना

अतः परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

1. परिवाद को अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस स्टेशन.. को भेजकर निर्देशित किया जावे कि उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
2. अन्य जो भी अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे, प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के पक्ष में पारित करने की कृपा करें।

दिनांक ....

प्रार्थी

न्यायालय ....

(संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायालय का नाम)..

(स्थान / जिला)...........

आपराधिक परिवाद संख्या........................./2008

(परिवादी का नाम व पूर्ण विवरण)

विरूद्ध

(अभियुक्तगतण का नाम व पूर्ण विवरण)

1. ....
2. ....

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र

मैं..पुत्र श्री...

आयु.............................निवासी...सशपथ कथन करता हूं कि :–

1. यह कि मैं उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी हूं तथा प्रकरण के सभी तथ्यों से परिचित हूं तथा प्रार्थी द्वारा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।
2. यह कि मेरे अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना–पत्र मेरे निर्देशानुसार प्रारूप तैयार किया है और यह प्रार्थना–पत्र मुझको पढकर समझा दिया गया है।
3. यह कि प्रार्थना– पत्र का चरण क्रम 1 से 9 मेरी जानकारी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कानूनी सलाह के अनुंसार सही एवं सत्य है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र को इस शपथ–पत्र का अभिन्न अंग समझकर पढा जावे ।

शपथग्रहिता

दिनांक ––––––

सत्यापन

मैं, ...

....उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है एवं न ही मिथ्या वर्णित किया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

दिनांक ––––––

माननीय मुख्यमंत्री/ जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना–पत्रों का प्रारूप

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :– ....(जिले का नाम) में राजस्थान अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम 1995 के नियम 9 के अधीन नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन करने के विषय में।

मान्यवर,

1. निवेदन है कि ....(जिले का नाम) के अनुसूचित जाति / जनजाति को न्याय प्रदान करने के लिए मान्यवर के हस्तक्षेप की तुरन्त आवश्यकता है।

2. यह कि यद्यपि अनुसूचित जाति / जनजाति के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के सुधार के लिए काफी प्रयास किये गये हैं, परन्तु फिर भी धरातल की सच्चाई यह है कि अभी भी उत्पीडन व अत्याचार के शिकार हैं। यह तथ्य हाल ही में प्राप्त किये गये रिपोर्ट / रिकार्ड तथा अनुसूचित जाति / जनजाति पर अत्याचार से संबंधित मुकदमों व अन्य सूचनाओं से स्पष्टतः प्रमाणित है। सम्पूर्ण जिले में अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है तथा उनको भांति–भांति से प्रताडित व अधित्रासित किया जा रहा है।

3. यह कि इस जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति के विभिन्न संस्थानों द्वारा जिनमें कि दलित अधिकार केन्द्र जयपुर (सी.डी.आर.) तथा एन.सी. डी.एच. आर. भी सम्मिलित है, किये गये प्रयासों के फलस्वरूप एवं शिक्षा, कानूनी जानकारी एवं अत्याचार के मामलों को चुपचाप बर्दाश्त न करने की जागरूकता के कारण अब अनुसूचित जाति / जनजाति अपने अधिकार को समझने लगे हैं तथा जातिवादी शंक्तियों का विरोध भी कर रहे हैं।

4. यह कि इस जिले में जब कभी भी अनुसूचित जाति / जनजाति अपने अधिकारों की मांग करते हैं अथवा उनको प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं अथवा छूआछूत का विरोध करते हैं अथवा न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हुए बंधक मजदूरी प्रथा का विरोध करते हैं तो जातिवादी शक्तियां उनको डराने धमकाने व प्रताडित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है । जब कभी भी अनुसूचित जाति / जनजाति अपने आत्मसम्मान अथवा महिला सम्मान की बात करते हैं तो उच्च जातियां उनसे बुरी तरह से नाराज हो जाती हैं।

5. यह कि अनुसूचित जाति / जनजाति को अपनी भूमि पर सही प्रकार से खेती भी करने नहीं दी जा रही है तथा उन पर इस कारण से भी कई बार आक्रमण होते हैं तथा मारपीट की जाती है। अनुसूचित जाति/ जन जाति के सदस्यों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है।

6. यह कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति / जनजाति पर मल फेंकने की घटनाऐं, उनके पानी को दूषित करने की घटनाऐं , अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाऐं तथा यहां तक कि सामूहिक हत्या व सामूहिक बलात्कार के मामले भी निरन्तर बढ रहे हैं।

7. (अनुसूचित जाति / जनजाति पर अत्याचार की कुछ घटनाओं का पूर्ण विवरण दिया जावे।)

8. यह कि मान्यवर से सादर अनुरोध है कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के हितों का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जाति / जनजाति संरक्षण कक्ष का गठन किया गया है, परन्तु इस स्थिति को देखते हुए तथा अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार की बढती हुई घटनाओं को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार इस जिले में नियम 9 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन कम से कम सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त करे।

9. यह कि जिले की स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम 1995 के तहत अधिकतर मामलों में जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के मध्य उचित तालमेल नहीं है, जिसके कि कारण अधिनियम के प्रावधानों का लाभ अनुसूचित जाति / जनजाति जनता को नहीं मिल पा रहा है।

10. यह कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा उसके अधीन बनाये गये अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में निर्देशित किये गये प्रावधानों की पालना नहीं हो पा रही है। अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार को उसकी रोजी– रोटी के लिए तुरन्त सहायता व नकद सहायता का भुगतान नहीं हो पा रहा है तथा न ही तुरन्त उपलब्ध कराने वाली सुविधाऐं जैसे वस्त्र की व्यवस्था, कानूनी सहायता , भरण –पोषण व्यय, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, रहने की सुविधा आदि न तो पीड़ित और न ही उसके आश्रितों को उपलब्ध हो पा रहे हैं तथा संबंधित अधिकारी "संरक्षण सेल" विभिन्न कमेटियॉ व लोक अधिकारी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं एवं इन सबके कार्य पर निगरानी रखने व उनको सही प्रकार से कार्य करवाने हेतु नोडल अधिकारी की तुरन्त नियुक्ति की मांग दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) व एन.सी.डी.एच. आर. करता है।

प्रार्थी

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :– ....(जिले का नाम) में राजस्थान अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनमय 1989, नियम 1995 के नियम 8 के अधीन अनुसूचित जाति / जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित किये जाने के विषय में।

मान्यवर,

1. निवेदन है कि ....(जिले का नाम) के निवासी अनुसूचित जाति / जनजाति को न्याय प्रदान करने के लिए मान्यवर के हस्तक्षेप की तुरन्त आवश्यकता है।

2. यह कि यद्यपि अनुसूचित जाति / जनजाति के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के सुधार के लिए काफी प्रयास किये गये हैं, परन्तु फिर भी धरातल की सच्चाई यह है कि अभी भी उत्पीडन व अत्याचार के शिकार हैं। यह तथ्य हाल ही में प्राप्त किये गये रिपोर्ट / रिकार्ड तथा अनुसूचित जाति / जनजाति पर अत्याचार से संबंधित मुकदमों व अन्य सूचनाओं से स्पष्टतः प्रमाणित है । सम्पूर्ण जिले में अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है तथा उनको भांति–भांति से प्रताडित व अधित्रासित किया जा रहा है।

3. यह कि इस जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति विभिन्न संस्थानों द्वारा जिनमें कि दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) एन.सी. डी.एच. आर. भी सम्मिलित है, किये गये प्रयासों के फलस्वरूप एवं शिक्षा, कानूनी जानकारी एवं अत्याचार के मामलों को चुपचाप बर्दाश्त न करने की जागरूकता के कारण अब अनुसूचित जाति / जनजाति अपने अधिकार को समझने लगे हैं तथा जातिवादी शक्तियों का विरोध भी कर रहे हैं।

4. यह कि इस जिले में जब कभी भी अनुसूचित जाति / जनजाति अपने अधिकारों की मांग करते हैं अथवा उनको प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं अथवा छूआछूत का विरोध करते हैं अथवा न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हुए बंधक मजदूरी प्रथा का विरोध करते हैं तो जातिवादी शक्तियां उनको डराने धमकाने व प्रताडित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है । जब कभी भी अनुसूचित जाति / जनजाति अपने आत्मसम्मान अथवा महिला सम्मान की बात करते हैं तो उच्च जातियां उनसे बुरी तरह से नाराज हो जाती हैं।

5. यह कि अनुसूचित जाति / जनजाति को अपनी भूमि पर सही प्रकार से खेती भी करने नहीं दी जा रही है तथा उन पर इस कारण से भी कई बार आक्रमण होते हैं तथा मारपीट की जाती है। सदस्यों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है।

6. यह कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति / जनजाति पर मल फेंकने की घटनाऐं, उनके पानी को दूषित करने की घटनाऐं , अनुसूचित जाति / जनजातिों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाऐं तथा यहां तक कि सामूहिक हत्या व सामूहिक बलात्कार के मामले भी निरन्तर बढ रहे हैं।

7. (अनुसूचित जाति / जनजाति पर अत्याचार की कुछ घटनाओं का पूर्ण विवरण दिया जावे।)

8. यह कि इस जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा अनुसूचित जाति /जनजाति पर हो रहे अपराधों के विषय में सही कारण जानने के लिए एवं अनुसूचित जाति / जनजाति को मानसिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के आशय से एवं अनुसूचित जाति / जनजाति को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के आशय से एवं सारी कार्यवाही की देखभाल करने के लिए यह आवश्यक है कि जिले में तुरन्त अनुसूचित जाति / जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना की जावे तथा कक्ष का प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी को बनाया जावे।

9. यह कि नियम 8 निम्न प्रकार है :–

नियम 8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना:– (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक के भार साधन में एक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी । यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा :–

(1) परिलक्षित क्षेंत्र का सर्वेक्षण करना;

(2) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना;

(3) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(4) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना;

(6) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना;

(7) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये अन्वेषण और स्थल पर किये गये निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करना;

(8) नियम 5 के उप–नियम(3) के अधीन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ करना;

(9) किसी लोकसेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना;

(10) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति काा पुनर्विलोकन करना;

(11) उपर्युक्त के संबंध में राज्य सरकार / नोडल अधिकारी को की गई / की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना;

अतः दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.), एन.सी.डी.एच.आर. यह मांग करता है कि जिले में धारा 8 के अधीन तुरन्त जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) सेल की स्थापना की जावे ।

प्रार्थी

सेवा में,

मानननीय जिला मजिस्ट्रेट /

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

....

विषय :– प्रार्थना–पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.............पुलिस स्टेशन........................में पीड़ित अनुसूचित जाति / जनजाति को अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 11 एवं 12 में राहत एवं सहायता भत्ते उपलब्ध कराने के विषय में।

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नांकित निवेदन करता है :–

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.................................. पुलिस स्टेशन.............................. दिनांक.............................. को अपराध अन्तर्गत धारा.............................. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन दर्ज करवायी है जो कि अभी जैरे अनुसंधान है / अनुसंधान के पश्चात् प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय .... में ....(कार्यवाही जैसे आरोप / साक्ष्य) हेतु लम्बित है।

2. यह कि इस प्रकरण में प्रार्थी व अभियुक्तगण से सम्बन्धित तथ्य निम्न प्रकार है :–

(क) परिवादी / प्रार्थी / मजरूब का नाम व पता एवं उसका जीवन यापन का साधन का पूर्ण विवरण :–

....

....

....

(ख) अभियुक्तगण का नाम व पता तथा उनका जीवनयापन का साधन :–

....

....

....

(ग) आरोपित अपराध / अत्याचार का विवरण :–

....

....

....

(घ) अभियोजन के साक्षीगण का नाम, पिता का नाम व पूर्ण पता:–

....

....

....

(ड़) परिवादी प्रार्थी / मजरूब अथवा उनके परिवार द्वारा अपराध के तुरन्त बाद आई परेशानियां :–

....

....

....

(च) अन्य सम्बन्धित तथ्यः–

....

....

....

3. यह कि अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के नियम 11 एवं 12 में यह प्रावधान है कि :–

11 अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति एवं उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा–भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाऐं;

12 जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन नियमों (उपबंध 2 के साथ पठित उपबंध 1) से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए मान के अनुसार अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों रूप में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपडे, आश्रय, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित होंगी जो मानव के लिए आवश्यक है।

4. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने / आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद भी अभी तक प्रार्थी को किसी प्रकार की सहायता नियमानुसार नहीं मिली है, जिससे प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी हो रही है।
5. यह कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य है एवं उसका रहना एवं जीवनयापन करना दूभर हो रहा है।
6. यह कि प्रार्थी पर हुए अत्याचार से वह व उसका परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
7. यह कि प्रार्थी की गरीब परिस्थिति के कारण व न्यायालय में भी अपने प्रकरण को अच्छी तरह से देखरेख करने में असमर्थ हो रहा है।

प्रार्थना

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में दलित अधिकार केन्द्र (सी.डी.आर.) जयपुर प्रार्थना करता है कि :–

1. पीड़ित व उसके आश्रितों को 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (सूचीनुसार) नियम 12(5/6) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अनुसार प्रदान करते हुए प्रार्थी को ....रूपये प्रदान करने का आदेश प्रदान करें।
2. यह भी आदेश प्रदान करें कि सभी संबंधित अधिकारीगण प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि भविष्य में भी नियमानुसार समय पर प्रदान करें।
3. अन्य जो भी आदेश श्रीमान् प्रार्थना–पत्र की परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझें, प्रार्थी के पक्ष में पारित करने का श्रम करें।

प्रार्थी

अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 की पालना में खामियां व उनके उपचार

क्र. स.	अधिनियम व नियम के पालन में पाई गई खामियां	संबंधित विधिक उपचार
1.	पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करना।	इस स्थिति में धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय में व्यक्तिगत परिवाद प्रस्तुत किये जावे।
2.	पुलिस द्वारा सही धाराओं में आरोप पत्र पेश नहीं करना।	धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय के समक्ष आरोप में संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जावें।
3.	अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफतार नहीं किया जाना ।	न्यायालय के समक्ष सीधे परिवाद दाखिल कर धारा 44 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन गिरफतारी वारन्ट की मांग करें।
4.	मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जानबूझकर पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करना।	संबंधित अनुसंधान अधिकारी को अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन 30 दिन में आरोप पत्र प्रस्तुत करना होता है तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन 90 दिन में आरोप पत्र प्रस्तुत करना होता है । इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जावे तथा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष नियम 7(2) अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 तथा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही करें ।

क्र. स.	अधिनियम व नियम के पालन में पाई गई खामियां	संबंधित विधिक उपचार
5.	मुकदमे कीसुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण व संबंधित गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं करना।	यदि संबंधित अभियोजन बयान नहीं ले रहा है तो धारा 202(2) दंड प्रकिया संहिता के अधीन प्रोटेस्ट पीटीशन प्रस्तुत करें ।
6.	दलितों के विरूद्ध झूठे क्रॉस केस अथवा झूठे केस दर्ज किये जाने पर।	धारा 177 भारतीय दंड संहिता के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत करें तथा साथ ही धारा 3(1)(8) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन कार्यवाही करें ।
7.	लोक अभियोजक द्वारा अपना कार्य सही तरीके से नहीं करने पर।	धारा 301(2) दंड प्रकिया संहिता के अधीन निजी अभिभाषक हेतु प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करें अथवा नियम 4,5 अनुसूचिज जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी पसन्द का अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रार्थना–पत्र पीडित प्रस्तुत करे।
8.	सरकारी अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जाति / जनजाति के मामलों में लापरवाही बरतना।	धारा 4 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 166 भारतीय दंड संहिता के अधीन कार्यवाही करें ।
9.	यदि संबंधित सरकारी अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण समय पर नहीं करते हैं ।	नियम 6/12, अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के अधीन कार्यवाही ।

दलित अधिकार केन्द्र (सी.डी.आर.), जयपुर

अनुसूचित जाति / जनजातीों पर अत्याचार के मामले में कार्य करने वाली एजेन्सियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए उपलब्ध विधिक उपचार

- अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही अथवा उसके पश्चात् चालान प्रस्तुत होने के बाद अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति एवं अन्त में निर्णय के पश्चात क्षतिपूर्ति प्रदान करना।
- पीड़ित को राज्य खर्च पर तुरन्त चिकित्सकीय सहायता दिलवाना।
- अन्य प्रावधानों के अधीन मनुष्य द्वारा या प्रकृति द्वारा कारित की गई आपदाओं पर दिये जानी वाली सामान्य क्षतिपूर्ति दिलवाना।
- तत्काल सहायता एवं दूरस्थ पुनर्स्थापन योजना।
- अनुसूचित जाति / जनजातीों पर होने वाले सामूहिक अत्याचार पर अनुसूचित जाति / जनजाति के विस्थापितों को तुरन्त आश्रय, मकान उपलब्ध कराना तथा उनके आश्रितों व पीड़ितों को रोजगार मुहैया कराना।
- यदि किसी अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार का रोजगार कमाने वाला सदस्य की हत्या गैर अनुसूचित जाति / जन जाति के सदस्य द्वारा की जाती है तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराना।
- पुलिस स्टेशन में व न्यायालय में प्रकरण का ध्यान रखना – संबंधित अनुसंधान अधिकारी, जो कि पुलिस उप अधीक्षक स्तर के होते हैं, उनके अनुसंधान के दौरान सम्पर्क रखना– इस बात को सुनिश्चित करना कि प्रकरण में 30 दिन की अवधि में चालान प्रस्तुत हो जावे – प्रकरण का न्यायालय में कार्यवाही जल्दी से जल्दी हो इसके लिए न्यायालय की कार्यवाही का ध्यान रखना – यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले समस्त कानूनी काम करना– यदि न्यायालय में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसके विरूद्ध अपील करवाना।
- यदि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो अत्याचारी के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासा (परिवाद) प्रस्तुत करना ।
- यदि पुलिस द्वारा अत्याचारी को गिरफतार नहीं किया जाता है तो न्यायालय में इस बात के लिए प्रार्थना–पत्र लगवाना व न्यायालय से पुलिस को निर्देश दिलवाना।
- यदि अत्याचारी फरार है तो न्यायालय में प्रार्थना–पत्र लगवाकर उसकी फरारी घोषित करवाकर सम्पत्ति को कुर्क करवाना।
- यदि कोई राजकीय अधिकारी अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व 1995 की

जानबूझकर उपेक्षा करता है तथा अपनी डयूटी ढंग से नहीं निबाहता है यानि लापरवाही बरतता है तो उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति /जन जाति अधिनियम की धारा 4 के अधीन न्यायालय में इस्तगासा पेश करना।

फैक्ट फाइंडिंग (तथ्यों की जानकारी की रिपोर्ट) पूरी कर लेने के पश्चात् स्थानीय कार्यकर्ताओं अनुसूचित जाति / जनजाति अधिवक्ता / कानूनी सलाहकार कार्यकर्ता दोनों को आपस में सामंजस्य स्थापित रखते हुए निम्नांकित कदम उठाने चाहिए, जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके।

प्रयास–1 : प्रयास–1 : यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है :–

- दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) के जिला समन्वयक / स्थानीय कार्यकर्ता / अनुसूचित जाति / जनजाति अधिकार कार्यकर्ता को लीगल सैक्रेटरी (स्थानीय विधि सचिव) एवं राज्य सचिव से सहायता प्राप्त कर संभावित कमियों को दूर करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सही धारा में सही अपराध हेतु दर्ज की गई है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया है।
- यदि उपरोक्त में से कोई कार्य सही प्रकार से नहीं हुआ है तो न्यायालय से इस विषय में निर्देश प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रयास–2 : अत्याचार के मामले में अन्य आवश्यक कार्यवाही तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का सत्यापन :–

- यह सुनिश्चित करें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन सही उप–धाराओं में दर्ज की गई है तथा सही धाराऐं लिखी गई हैं।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी अभियुक्तगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है व उनके द्वारा किस प्रकार व कौनसा अपराध कारित किया गया है , यह भी सही प्रकार से लिखा गया है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित द्वारा अपने साथ हुए अत्याचार के अनुसार ही लिखी गई है तथा उसमें व पीड़ित की कहानी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि पीड़ित द्वारा बताये गये गवाहान का सही प्रकार से जिक्र एवं विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि अत्याचारी द्वारा प्रयोग किये गये हथियारों का सही विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि सारी घटना सही क्रम में लिखी गई है तथा उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति पीड़ित को पुलिस द्वारा निःशुल्क दे दी गई है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि कोई गडबड की गई है तो इसके लिए प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मीडिया से सम्पर्क कर मामले को प्रचारित किया जावे। (केवल संगीन मामलों में)

प्रयास–3 : पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि मिली है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए :–

- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित परिवार को अन्तरिम राहत क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए जिलाधीश के समक्ष प्रार्थना–पत्र सही प्रकार से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना –पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज की प्रति लगाई गई है एवं संबंधित नियम जो कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में दिये गये हैं उसका भी हवाला दिया गया है ।

- यह सुनिश्चित करें कि जिलाधीश को प्रार्थना–पत्र पीड़ित की ओर से अलग से दिया गया हो तथा उसके साथ दलित अधिकार केन्द्र, (सी.डी.आर.) के जिला समन्वयक व स्थानीय कार्यकर्ता का नाम व हस्ताक्षर भी अंकित हों।
- यदि 15 दिवस के अन्दर पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जाती है तो दलित अधिकार केन्द्र (सी.डी.आर.) के जिला समन्वयक द्वारा जिलाधीश को एक नोटिस स्मरण–पत्र दिया जाना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया जाना चाहिए कि यदि 15 दिन के अन्दर नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा धारा 4 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
- दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) के राज्य स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक को जिलाधीश से व्यक्तिगत रूप से मिलकर पीड़ित पक्ष को कम्पन्सेशन दिये जाने का निवेदन करना चाहिए।
- यदि अनुरोध करने के बाद भी जिलाधीश कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो धारा 4 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत करना चाहिए।
- जिलाधीश की लापरवाही के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से मामले को प्रचारित करना चाहिए।
- फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट के तुरनत बाद समस्त दस्तावेजों को दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) को कवरिंग लैटर के साथ सभी संबंधित कमीशन्स तथा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव को शिकायत भेजनी चाहिए।

प्रयास–4 : यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षतिपूर्ति राशि जैसा कि नियमों में दी गई है, विभिन्न स्टेज पर सही प्रकार से मिल रही है :–

- मेडिकल रिपोर्ट / पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद / न्यायालय में चालान पेश होने के बाद तथा न्यायालय में निर्णय होने के बाद स्टेप –3 में बतायी गई सारी कार्यवाही पुनः की जावे।

प्रयास–5 : यह सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित अथवा उसके परिवार का पुनर्वास हो चुका है, सहायता मिल चुकी है तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को यदि घटना में पीड़ित की मौत हो चुकी है तो उसे आजीवन 1000 रु. मासिक पेन्शन, कृषि भूमि अथाव नौकरी मिल चुकी है :–

स्टेप 3 व 4 में बताये गये अनुसार पुनर्वास , नौकरी तथा रीलिफ के लिए सारी प्रकिया पुनः दोहरायी जावे , जिससे कि मृतक अथवा पीड़ित परिवार के सदस्यों को राहत मिल सके।

प्रयास–6 : पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त अभिरक्षा में है :–

- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति परिवार तथा गवाहों को पुलिस द्वारा डराया धमकाया नहीं जावे तथा अत्याचारी के परिवारजन अथवा अत्याचारी के सम्बन्धी या उसके समर्थक लोग पीड़ित को परेशान नहीं करें तथा उच्च जाति के शक्तिशाली लोग राजनीतिक प्रभाव का उपयोग न करें।
- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित के विरूद्ध कोई झूठा कॉस केस दाखिल नहीं किया गया है।
- यदि झूठा क्रॉस केस दाखिल कर दिया गया है तो क्रॉस एफ. आई. आर. को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय में याचिका लगायी जावे।

- यह सुनिश्चित करें कि एफ.आई.आर. में नामजद सभी अत्याचारी गिरफतार कर लिये गये हैं।
- यह सुनिश्चित करें कि अत्याचारियों को आसानी से जमानत नहीं मिले तथा हर स्तर पर उसकी जमानत का विरोध किया जावे।
- प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया से मामले को अधिक से अधिक प्रचारित करने का प्रयास किय जावे।

प्रयास–7 : पुलिस जांच में तेजी लाने के लिए :–

- यह सुनिश्चित करें कि मामले का अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
- अनुसंधान अधिकारी से सम्पर्क कर तथा उससे प्रार्थना कर कानून सम्मत व निष्पक्ष उचित अनुसंधान करवाने का प्रयास करें।
- यह देखें कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध नहीं लगाया गया है अथवा सही उप–धारा नहीं लगाई गई है तो वे अनुसंधान में सम्मिलित की जावें।
- यह देखें कि जो धाराऐं लगाई गई हैं, उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं।
- यह सुनिश्चित करें कि जो अभियुक्तगण छोड दिये गये हैं, उनको अनुसंधान के दौरान अपराधी मानकर शामिल किया जावे।
- यदि अनुसंधान में किसी महत्वपूर्ण गवाह को छोड दिया गया है , तो ध्यान रखकर उसका न्यायालय में बयान करवायें ।
- अनुसंधान अधिकारी से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि अपराध में प्रयुक्त सारे हथियार व अन्य सभी सामान जब्त कर लिये गये हैं।
- यह सुनिश्चित करें कि अनुसंधान अधिकारी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल रिपोर्ट संबंधित अस्पताल से सही समय पर प्राप्त करे।
- यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में चालान सही समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रयास–8 : न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना :–

- यह सुनिश्चित करें कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा 30 दिवस के भीतर अनुसंधान पूरा करके चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। यह 30 दिन की अवधि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि से आरम्भ होगी।
- यह सुनिश्चित करें कि चालान में सभी सुसंगत तथ्य , अपराध की सही धाराऐं तथा मुलजिमों के सही नाम तथ्य व पूर्ण विवरण दिया गया है जिससे कि अभियुक्तगण को सजा होने में सुविधा हो।
- यदि चालान में पूरे तथ्य नहीं लिखे गये हैं तो न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर धारा 173(8) के अधीन किसी अन्य अधिकारी से फरदर इंवेस्टीगेशन के निर्देश प्राप्त किये जावें।
- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित को अथवा उसके परिवार को चालान पेश होने के बाद कानून के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि मिल गई है।
- यदि जिलाधीश द्वारा चालान पेश होने के बाद देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीड़ित या उसके परिवार को नहीं किया है तो स्टेप–3 व 4 में बतायी गई प्रक्रिया का पुनः पालन करें।
- न्यायालय में भी इस बात की याचिका दायर करें कि न्यायालय जिलाधीश को यह निर्देश दे कि वह पीड़ित अथवा उसके परिवार को क्षतिपूर्ति राशि का तुरन्त भुगतान करें।

- यह भी सुनिश्चित किया जावे कि बलात्कार के मामलों में पुलिस ने पीड़िता को तुरन्त मेडीकल जाँच के लिए भेजा है तथा जाँच नियमानुसार की गई।
- प्रेस कांफ्रेंस व मीडिया से सम्पर्क कर इन सारे मामलों को प्रचारित करवाया जावे।
- यदि चालान नहीं पेश किया जाता है तो न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र दें तथा यदि न्यायालय भी किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है तो संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करें।
- दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) का जयपुर कार्यालय एवं संबंधित जिला समन्वयक एक रजिस्टर निर्धारित करें जिसमें सारे मामलों की कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जावे एवं उनका ध्यान रखा जावे।

प्रयास–9 : प्रकरण का अदालत में जल्द से जल्द निस्तारण करवाने के लिए :–

- दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) से संबंधित स्थानीय अधिवक्ता जहां तक संभव हो, न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित होकर कार्यवाही का ध्यान रखें।
- विशेष लोक अभियोजक की हरसंभव सहायता की जावे।
- यदि ऐसा लगता है कि सरकारी वकील अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, मुलजिमों से मिल गया है अथवा बयान नहीं ले रहा है तो सरकारी वकील बदलने का प्रार्थना–पत्र जिलाधीश को दिया जावे तथा नियम 4(5)(6) के अधीन प्रार्थी की पसन्द का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए जिलाधीश से प्रार्थना की जावे।
- पीड़ित व्यक्ति की सहायता की जावे कि वे मुकदमें में बिना भय के भाग ले सके। यदि पीड़ित व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है तो उसके लिए संबंधित न्यायालय व जिलाधीश के यहां याचिका लगाई जावे।
- यदि अत्याचारी अभियुक्त जमानत पर है और पीड़ित परिवार को आतंकित करता है और धमकाता है तो उनकी जमानत निरस्त करने के लिए न्यायालय में याचिका लगाई जावे।
- यदि न्यायालय में ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी अथवा न्यायालय के कर्मचारी जातिगत भावना से ग्रसित हैं तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रति विद्वेष रखते हैं तो प्रकरण को किसी और न्यायालय में अन्तरित करवाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जावे। यह ध्यान रखा जावे कि अभियुक्त व उसके अभिभाषक अकारण तारिख पेशियां न ले पायें।
- यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व उसके गवाहों को नियमानुसार आने जाने का खर्चा, यातायात व्यवस्था व दैनिक भत्ता मिले, जैसा कि अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में प्रस्तावित किया गया है।
- यदि प्रकरण को दूसरी जगह अन्तरित करवाना आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय में याचिका पेश की जाये।
- क्षेंत्र के प्रभावी वकील जिनका कि रूझान अनुसूचित जाति / जनजाति हितों में है, उनकी एक सूची बनाकर रखी जावे ताकि आवश्यकता पडने पर उन्हें विशेष लोक अभियोजक बनाने के लिए जिलाधीश एवं राज्य सरकार से निवेदन किया जा सके।

प्रयास–10 : दोषी लोक सेवकों एवं अभियुक्तगतण के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करना :–

- विचारण न्यायालय के समक्ष ही इस बात की याचिका प्रस्तुत करना कि ऐसे अभियुक्तगण जिनका कि नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, चालान पेश नहीं किया गया है , उनके विरूद्ध न्यायालय प्रसंज्ञान ले, यह याचिका चालान पेश करते ही धारा 190 सी. आर.पी. सी. के अधीन अथवा गवाहान के बयान के बाद धारा 319 सी. आर.पी.सी. के अधीन पेश हो सकती है ।

- जो सरकारी अधिकारी जानबूझकर अपने कार्य में लापरवाही बरत रहा है, उसके विरूद्ध धारा 4 अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत किया जावे।
- प्रेस / मीडिया से मिलकर इस प्रकार के मामलों को प्रचारित किया जावे ।
- उपरोक्त कार्यवाही दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) के जयपुर कार्यालय तथा नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यमन राइट के राज्य कार्यालय से सम्पर्क करने के बाद की जावे।

प्रयास–11 : अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों को न्याय दिलवाने के लिए जनहित याचिकाऐं अथवा नियमित याचिकाऐं दायर करना :–

- कई सारे प्रकरणों का गहन अध्ययन कर तथा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उल्लंघनों का आकलन करके एवं विभिन्न एजेन्सिज द्वारा किये गये नियम विपरीत कार्यों का आकलन करके एक प्रभावी शपथ – पत्र तैयार किया जावे तथा उसके पश्चात् दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर (सी.डी.आर.) अथवा एन.सी.डी.एच. आर. की ओर से इन सारी गंभीर लापरवाहियों को प्रचारित करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जावे।
- प्रेस व मीडिया से मिलकर इस सारे मामले को प्रचारित किया जावे।

- **पी.एल. मीमरोठ** एडवोकेट
  अध्यक्ष, दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
  फोन : 0141-2591939 (नि), 2703736 (ऑ.) मो.: 9351317611
- **सतीश कुमार** एडवोकेट
  राज्य समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
  फोन : 0141-2703923, मो.: 9414059848, 9982246312
- **एम.पी. चौधरी**
  कार्यक्रम समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
  फोन : 0141-2703736, मो.: 9351657877, 9982246315
- **सौकत भट्टाचार्य**
  राज्य समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
  फोन : 0141-2703736, मो.: 9983346328
- **गोपाल राम वर्मा**
  एम.आई.एस. राज्य समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान
  फोन : 0141-2703736, मो.: 9414427200
- **रामदयाल बैरवा**
  समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र,
  सोमनाथ तिराहा, आगरा रोड, दौसा , मो. 9982246317
- **रमेश चन्द बंसल**
  समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, अजमेर
  428/31, रामलीला का बाड़ा, नगरा, अजमेर मो.: 9982246318
- **यशपाल लहरी**
  समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, भरतपुर
  न्यू हीरदास कॉलोनी, कोल्ड स्टोरेज के पास,
  जयपुर रोड़, भरतपुर मो. : 9982246316
- **बनवारी लाल मीमरोठ**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, अलवर
  मो.: 9982246320
- **महावीर सिंह भाटी**
  समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, पाली
  413, बापूनगर, कॉलेज रोड़, पाली, मो.: 9982246319
- **मनोहर लाल बैरवा**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, सवाईमाधोपुर
  मो.: 9983346326
- **सुरेश कुमार बैरवा**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, करौली
  मो.: 9983346329
- **सतीश कुमार लहरी**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, धौलपुर
  मो.: 9983346325
- **सुधा सक्सैना**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, सिरोही
  मो.: 9983346327
- **राजेश परमार**
  जिला समन्वयक, दलित अधिकार केन्द्र, जालौर
  मो.: 9983346324